

## सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण आख्या— जनपद प्रयागराज

**राज्य स्तरीय टीम:**

1. डा. सुधा गोयल, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
2. श्री कौशल सिंह बिष्ट, एम.एण्ड ई. डिवीजन, एस०पी०एम०य०, एन०एच०एम०।

मिशन निदेशक, एन.एच.एम. द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में उपरोक्त टीम द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2018 से दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 के मध्य जनपद प्रयागराज का भ्रमण कर सी०एच०सी० कौड़िहार, एपीएचसी शृंगवेरपुरम्, आई.एम.आई. सत्र, हेल्थ वेलनेस सेण्टर, जिला महिला चिकित्सालय, एस.एन.सी.यू., एन.आर.सी., एन.सी.डी. सेल, मनकक्ष, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, संपूर्ण कलीनिक, बधीरता कलीनिक व ईयूपीएचसी, यूएचएनडी का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया तथा सामुदायिक गतिविधियों का अवलोकन किया गया। साथ ही जिला व मण्डलीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई। भ्रमण के दौरान अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर०सी०एच० डा० सत्येन राय एवं जनपद एवं मण्डल स्तरीय समस्त प्रबंधक उपस्थित थे। भ्रमण आख्या निम्नानुसार है—

**भ्रमण की तिथि — दिनांक 29.11.208**

**भ्रमण स्थान — प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शृंगवेरपुरम्:**

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
शृंगवेरपुरम पी०एच०सी० हेल्थ वेलनेस सेण्टर के अन्तर्गत चयनित है। निरीक्षण के समय चिकित्साधिकारी व एल.ए. उपस्थित थे। हेल्थ वेलनेस सेण्टर में अभी तक कम्प्युटर, प्रिंटर आदि उपलब्ध नहीं कराया गया है। ए.सी.एम.ओ. आर.सी.एच. ने बताया कि कम्प्युटर क्रय कर लिया गया है, सी०एच०सी० कौड़िहार पर रखा गया है। सी०एच०ओ० के फेल हो जाने के कारण पद रिक्त है। चिकित्सालय की ब्राइंडिंग करा दी गई है।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर.सी.एच. को निर्देशित किया गया, कि पी०एच०सी० में हेल्थ वेलनेस सेण्टर के मानक के अनुसार सेवायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	नोडल अधिकारी—हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी — आर.सी.एच.
फार्मासिस्ट व ए.एन.एम. अवकाश पर चल रहे थे। ए.एन.एम. श्रीमती लीला कुशवाहा विगत कई दिनों से अवकाश पर हैं एवं उनके द्वारा अवकाश पर जाने से पूर्व अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराये गये।	ए.एन.एम. के अवकाश पर जाने पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाये, यदि कर्मचारी छुट्टी पर जा रहा है, तो अपने अभिलेख सम्बन्धित अधिकारी को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें।	मुख्य चिकित्साधिकारी
चिकित्साधिकारी को जानकारी नहीं थी कि उनके क्षेत्र में कितनी आशा आती है व उनके क्षेत्र में गर्भवती माता एवं बच्चों की कितनी संख्या है।	चिकित्साधिकारी नियमित रूप से आशा, ए.एन.. एम. की बैठक में प्रतिभाग करें व अपने क्षेत्र के उपकेन्द्र की एच.एम.आई.एस. रिपोर्ट की जाँच की करें।	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रतिदिन 30 से 40 ओ०पी०डी० देखी जा रही है। निरीक्षण के समय 2 मरीज उपस्थित थे।	चिकित्साधिकारी की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाये एवं समुदाय में पी०एच०सी० पर मिलने वाली सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।	अधीक्षक सी०एच०सी० कौड़िहार
एल०ए० द्वारा मात्र शुगर व मलेरिया की जाँच की जा रही है। पी०एच०सी० पर हीमोग्लोबिन एवं अन्य महत्वपूर्ण जाँचें नहीं की जा रही हैं। एल०ए० का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया।	एल०ए० को अन्य जाँचें हेतु उपकरण व रियेजेण्ट उपलब्ध करायी जाये। यदि आवश्यक हो तो एक सप्ताह सी०एच०सी० से सम्बद्ध कर रिफेशर ट्रेनिंग दिला दी जाये।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर.सी.एच.
पी०एच०सी० पर दवाओं का रख—रखाव सही ढंग से नहीं किया	ब्लॉक एवं जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा नियमित सपोर्टिव सुपरवीजन किया जाये एवं	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर.सी.एच.

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
जा रहा है। दवाओं का कन्जमशन रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है।	ब्लॉक पी0एम0य० द्वारा प्रतिमाह एक बार अवश्य रूप से भ्रमण किया जाये।	
पी0एच0सी0 परिसर का बाउन्डरी टूटी हुई थी व पी0एच0सी0 परिसर में गदगी व्याप्त थी।	अस्पताल की टूटी बाउण्ड्री बनवाने व परिसर की साफ-सफाई कराने हेतु कहा गया।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर.सी.एच.
पी0एच0सी0 परिसर में मेन हॉल खुला हुआ था।	जिसे ढकवाने हेतु कहा गया।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर.सी.एच.
पी.एच.सी. पर किसी भी कार्यक्रम की आई.ई.सी. नहीं करायी गई है।	पी.एच.सी. पर सिटीजन चार्टर, नियमित टीकाकरण तालिका, जे.एस.वाई., पीएमएमवीवाई आदि कार्यक्रमों की आई.ई.सी. कराये जाने हेतु कहा गया।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर.सी.एच.
पी.एच.सी. पर मरीजों के बैठने व पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।	आर.के.एस. मद से उक्त व्यवस्था कराये जाने हेतु कहा गया।	अधीक्षक, सी0एच0सी0 कौड़िहार
पी.एच.सी. के निकट समुदाय में ऐण्डम आधार पर एम.सी.पी कार्ड की जाँच करने पर पाया गया, कि अधिकांश एम0सी0पी0 कार्डों में एम.सी.टी.एस. नम्बर नहीं भरे गये हैं व ए.एन.एम., आशा के मोबाइल नम्बर भी नहीं अकित पाये गये। कार्ड भी पूर्ण रूप से भरे नहीं जा रहे हैं। किशोरी बालिकाओं ने बताया कि आशा द्वारा किशोरावरथा संबंधित सलाह कभी नहीं दी गई।	उपर मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक गर्भवती माता को एम.सी.टी.एस. नम्बर दिया जाये व कार्ड में समस्त सूचनाएं सही ढंग से भरना सुनिश्चित किया जाये। यदि आवश्यक हो तो ए.एन.एम. को एम.सी.पी. कार्ड भरने हेतु पुनः प्रशिक्षित किया जाये। आशाओं को किशोरियों को स्वास्थ्य शिक्षा दिये जाने हेतु प्रशिक्षित किया जाना अतिआवश्यक है।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर.सी.एच. / जिला प्रतिरक्षण अधिकारी
उक्त पी0एच0सी0 की स्थिति से स्पष्ट है, कि डी0पी0एम0य० व बी0पी0एम0य० द्वारा उक्त केन्द्र पर भ्रमण नहीं किया गया है।	डी0पी0एम0य० व बी0पी0एम0य० के अधिकारियों को निर्देशित किया गया, कि जो केन्द्र हैल्थ वैलनेस सेण्टर के अन्तर्गत चयनित है, उन केन्द्रों पर स्वयं भ्रमण कर मानक के अनुरूप सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित कराये। अपने स्तर से कोई भी सुधार न हो पाने की दशा में भ्रमण के पश्चात् भ्रमण आख्या मुख्य चिकित्साधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जाये।	डी0पी0एम0 / डी0सी0पी0एम0 / बी0पी0एम0 / बी0सी0पी0एम0
पी0एच0सी0 चिकित्सक द्वारा अवगत कराया गया कि आर0के0एस0 की धनराशि की जानकारी उन्हें नहीं दी गई। विगत वर्ष पी0एच0सी0 में कराये गये कार्यों की धनराशि भी सी0एच0सी0 के अधीक्षक द्वारा रिअम्बर्स नहीं किया गया।	आर0के0एस0 की गाइडलाइन की प्रति समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारियों को दिये जाने हेतु डी0सी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया। चिकित्सा अधीक्षक, सी0एच0सी0 को पी0एच0सी0 के चिकित्सक द्वारा किये गये व्यय को रिअम्बर्स किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	डी0सी0पी0एम0 / प्रभारी चिकित्साधिकारी

#### निम्न निर्देश दिये गये:

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दी जा रही सेवाओं का अनुश्रवण चिकित्सक स्वयं करें।
- पैथालॉजी में यथा संभव ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, मलेरिया, शुगर, एच0आई0वी0, टी0एल0सी0 / डीएल0सी0, सिरम बिलबुरिन, थायरायड आदि समस्त जाँचे प्रतिदिन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- हैल्थ एण्ड वैलनेस सेण्टर संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों को दिशानिर्देश अनुरूप सेवायें देना सुनिश्चित करें।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीन कार्यरत समस्त आशाओं की कलस्टर बैठक प्रभारी चिकित्साधिकारी-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की अध्यक्षता में कराई जानी सुनिश्चित करें।

5. जनपद स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रिण्टेड रेफरेल स्लिप/इण्डेण्ट बुक उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराये।
6. चिकित्सालय में तैनात ए०एन०एम० को आर०सी०एच० रजिस्टर में प्रत्येक गर्भवती माता, नवजात शिशु को दी जाने वाली सेवाओं की सूचना अंकित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाये।
7. प्रत्येक आशा के क्षेत्र में कितनी गर्भवती मातायें हैं, कितने नवजात शिशु हैं, परिवार नियोजन हेतु कितने लक्ष्य दम्पत्ति हैं, की जानकारी संकलित कराई जाये। तत्पश्चात ए०एन०एम० के क्षेत्र की समस्त आशाओं की सूचना को संकलित कराना सुनिश्चित कराये। मासिक कार्य योजना तैयार कराये। मासिक कार्ययोजना के अनुरूप प्रत्येक माह कार्य करायें और फॉलोअप बी०पी०एम० / बी०सी०पी०एम० से कराये। ऑकड़ो का विश्लेषण एम०सी०टी०एस० ऑपरेटर से कराये।
8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ब्लाक स्तरीय सी०एच०सी० से आई०ई०सी० सामग्री वितरित कराकर चिकित्सालय की भीतरी दीवारों पर प्रदर्शित करायें। प्रभारी चिकित्साधिकारी के कक्ष में क्षेत्र की समस्त भौगोलिक जानकारी, दी जाने वाली सेवाओं का ई०एल०ए० एवं दी गई सेवाओं की जानकारी प्रत्येक माह प्रदर्शित की जानी चाहिए।
9. चिकित्सालय से किसी भी स्टाफ के छुटटी जाने पर संबंधित सेवाओं के रिकार्ड की जानकारी प्रभारी चिकित्साधिकारी को अवश्य होनी चाहिए साथ ही प्रतिस्थानी की तैनाती उच्चतर चिकित्सा इकाई के प्रभारी द्वारा की जानी चाहिए।
10. प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रत्येक माह एक दिन विशेष स्वास्थ्य देखभाल दिवस मनाया जाना चाहिए जिसमें ब्लाक स्तर से किसी भी विधा की महिला चिकित्साधिकारी के माध्यम से गर्भवती माताओं एवं शिशु की जॉच एवं उपचार कराया जाना चाहिए।
11. चिकित्सालय में विगत 9 वर्षों से निष्प्रयोज्य सामग्री को कंडेम्नेशन की कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
12. दवाओं के वितरण संबंधित कंजम्पशन रजिस्टर को प्रतिदिन अपडेट कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
13. चिकित्सालय परिसर की दूटी बाउण्डीवाल की रिपेयरिंग, चिकित्सालय परिसर में खाली पड़ी जमीन पर बागवानी, एवं खुले मैनहोल के ढक्कन को बन्द किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
14. जनपद स्तरीय प्रबंधकों को प्रत्येक स्वास्थ्य इकाई में जाकर सहयोगात्मक भ्रमण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।



**भ्रमण स्थान – मिशन इन्ड्रधनुष सत्र ग्राम पटना उपहार**

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
सत्र पर ए०एन०एम० श्रीमती सुनीता यादव व आशा श्रीमती सीमा यादव उपस्थित थी। सत्र पर ड्यूलिस्ट के अनुसार 05 बच्चों को आना था जिसमें से 01 ही बच्चा टीकाकरण हेतु आया था। ए०एन०एम० द्वारा बताया गया कि 01 बच्चा बीमार है तथा 02 बच्चे ननिहाल गये हुए हैं।	निर्देशित किया गया, कि यदि कोई लाभार्थी बीमार हो, ननिहाल गया हो या टीकाकरण कराने से इंकार किया जा रहा हो, तो उसे ड्यूलिस्ट में रिमार्क कालम में आवश्यक रूप से कारण अंकित किया जाये जिससे अगले सत्र में उनका टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके।	अधीक्षक, सी०एच०सी० कौड़िहार
ए.एन.एम. के पास आर०सी०एच० रजिस्टर उपलब्ध नहीं था। ए.एन.एम. द्वारा टीकाकरण, परिवार कल्याण	निर्देशित किया गया कि अविलम्ब आर० सी० एच० रजिस्टर ए०एन०एम० को उपलब्ध कराया जाये एवं आर०सी०एच० रजिस्टर को नियमित रूप से	अधीक्षक, सी०एच०सी० कौड़िहार/ डी०सी०पी०.एम०/ बी०सी०पी०एम०

आदि अन्य कई रजिस्टर अलग-अलग बनाये गये हैं।	अद्यतन किया जाये व सत्र पर ए.एन.एम. के पास आर0सी0एच0 रजिस्टर उपलब्ध होना चाहिए। डी0सी0पी0.एम0 व बी0सी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया, कि टीकाकरण चेकलिस्ट के अनुसार पर्यवेक्षण किया जाये एवं जो कमी पायी जाती है उसे दूर भी कराया जाये।	
वी0एच0एस0एन0सी0 के मद से मेज, कुर्सी, दरी आदि क्रय कर आशा के पास रखा दी जाये जिससे वी.एच.एन. डी. के दिन उपयोग में लाया जा सके।	उपस्थित ए.एन.एम. को निर्देशित किया गया, कि प्रधान से समन्वय कर वी0एच0एन0डी0 हेतु उक्त सामान क्रय कर लिया जाये।	सम्बन्धित ए0एन0एम0

#### निम्न निर्देश दिये गये:

- ए0एन0एम0 को आर0सी0एच0 रजिस्टर प्रत्येक सत्र पर साथ रखने हेतु निर्देशित किया गया। लाभार्थियों का समस्त विवरण दी जा रही सेवाओं की तिथि का अंकन आर0सी0एच0 रजिस्टर में किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- डयू लिस्ट में 5 बच्चों के नाम पाये गये जबकि 1 बच्चा टीकाकरण सत्र में लाया गया। गॉव की आबादी की गणना से स्पष्ट हुआ कि समस्त आशाओं द्वारा टीकाकरण हेतु डयू लिस्ट पूर्ण नहीं बनाई गई थी। आशाओं को अपडेटेड डयू लिस्ट बनाने हेतु निर्देशित किया और ए0एन0एम0 को निर्देशित किया कि उपकेन्द्र की आबादी के अनुसार अपेक्षित शिशुओं के टीकाकरण की सूची तैयार कर टीकाकरण करायें।
- ए0एन0एम0 को जी0डी0एम0 के अन्तर्गत गर्भवती माताओं की जाँच 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाने के 2 घण्टे बाद शुगर की जाँच करने हेतु निर्देशित किया गया।
- गॉव में सत्र होने के स्थान पर टेबल, चेयर, गर्भवती महिलाओं के बैठने हेतु दरी/कुर्सियों की व्यवस्था वी0एच0एस0एन0सी0 मद से कराये जाने हेतु आशा को निर्देशित किया गया।
- ब्लाक बी0सी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक राजस्व ग्राम में आशा और प्रधान के खाते खुलने की स्थिति का आकलन कर लें और बचे हुए खाते खोलना सुनिश्चित करें।



भ्रमण स्थान – हैल्थ एण्ड वैलनेस सेण्टर–उपकेन्द्र फतेहपुर कायस्थान, ब्लाक कौंडिहार।

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
उक्त उपकेन्द्र हैल्थ वैलनेस सेण्टर के अन्तर्गत चयनित है, यहाँ पर सी0एच0ओ0 सुश्री निहारिका सिंह तैनात हैं। सी0एच0ओ0 को एन0सी0डी0 के अन्तर्गत आने वाले बीमारियों के विषय में जानकारी नहीं थी एवं सी0एच0ओ0 के द्वारा क्या कार्य संपादित किये जाने हैं, के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं थी।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर.सी.एच. को निर्देशित किया गया कि सी0एच0ओ0 की रिफेशर प्रशिक्षण कराया जाये जिसमें उन्हें उनके कार्य दायित्वों से भी अवगत कराया जाये।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर.सी.एच.
हैल्थ वैलनेस सेण्टर में अभी तक कम्प्युटर, प्रिंटर आदि उपलब्ध नहीं कराया गया है। ए.सी.एम.ओ. आर.सी.एच. ने बताया कि कम्प्युटर क्रय कर	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर.सी.एच. को निर्देशित किया गया, कि हैल्थ वैलनेस सेण्टर पर कम्प्युटर उपलब्ध कराकर क्रियाशील कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर.सी.एच

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
लिया गया है, सी०एच०सी० कौड़िहार पर रखा गया है।		
सी०बै०फार्म व फैमली फोल्डर उपलब्ध थे किन्तु सी०एच०ओ० को पूर्ण जानकारी नहीं थी, कि इनका उपयोग कैसे किया जाना है।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर.सी.एच. को निर्देशित किया गया, कि सी०एच०ओ० को रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिलाये जाने की आवश्यकता है।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर.सी.एच
उक्त सब सेण्टर जे०एस०वाई० के अन्तर्गत आच्छादित है। सबसेण्टर का लेबररूम मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। आवश्यक दवाइयाँ व इन्जेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाये।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर.सी.एच. को निर्देशित किया गया, कि उपकेन्द्र के लेबर रूम मानक के अनुरूप सुसज्जित किया जाये एवं समस्त आवश्यक दवाइयाँ व इन्जेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाये।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर.सी.एच.

#### निम्न निर्देश दिये गये:

1. हैल्थ एण्ड वैलनेस सेण्टर में तैनात सी०एच०ओ० को एन०सी०डी० के अंतर्गत आने वाली बीमारियों की स्पष्ट जानकारी नहीं थी। केन्द्र पर कितने सी०बै०फार्म आशाओं से भराये जाने हैं और कितने भरे हैं की जानकारी नहीं थी। ब्लाक बी०सी०पी०एम० को निर्देशित किया गया कि अविलम्ब समस्त सी०एच०ओ० को सी०बै०फार्म भरे जाने हेतु स्पष्ट निर्देश जारी कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। सी०एच०ओ० को रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।
2. हैल्थ एण्ड वैलनेस सेण्टर में तैनात 2 ए०एन०एम० द्वारा आर०सी०एच० रजिस्टर नहीं भरा जा रहा था। आर०सी०एच० रजिस्टर के अतिरिक्त 13 रजिस्टर बनाये गये थे जिसमें डेली डायरी, टीकाकरण, शूगर, उपस्थिति, एनीमियॉ, ट्रिपल ए०, नसबन्दी, मासिक एवं ट्रैमासिक बैठकें, कुपोषित बच्चों, डिस्चार्ज, विलनिकल रजिस्टर, कॉपर टी, माला एन, प्रसवपूर्व जॉच रजिस्टर आदि। ए०एन०एम० को अनिवार्य रूप से आर०सी०एच० में दी जा रही सेवाओं को अपडेट किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
3. ए०एन०एम० को ई०डी०डी० गणना के बारे में बताया गया। ए०एन०एम० द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में 84 प्रसव कराये गये।
4. उपकेन्द्र क्षेत्र के समस्त शिशुओं का टीकाकरण ए०एन०एम० को कराने हेतु मॉं की भूमिका निभानी चाहिए। कोई शिशु छूटना नहीं चाहिए।
5. आशा संगिनी को समस्त आशाओं का वी०एच०आई०आर रजिस्टर पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
6. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर०सी०एच० को निर्देशित किया गया कि जनपद में कार्यरत समस्त ए०एन०एम० और चिकित्साधिकारियों को प्रभारी कार्य किये जाने हेतु योजना बनाने, कियान्वित किये जाने हेतु समय समय पर बैठकें/ प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।



भ्रमण स्थान – सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कौड़िहारः—

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
लेबर रूम ए०एच० टूल किट के अनुसार सुसज्जित पाया गया।	निरन्तरता बनाये रखने की आवश्यकता है।	नर्स मेण्टर
निरीक्षण के समय महिला वार्ड में 5 महिलाएं भर्ती थी। जिनसे पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उन्हें अस्पताल से निःशुल्क डाइट दी गई है।	विगत माह के डाइट के बिल का सत्यापन डाइट रजिस्टर से कराया गया। डाइट की संख्या में 1 का अंतर पाया गया। बी०पी०एम० को प्रतिमाह सत्यापन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	बी०पी०एम०

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
लैब अत्यन्त गंदी थी, लैब में सामान भी अव्यस्थित ढंग से रखा गया था, सिंक भी गंदा पाया गया, लैब में अभी भी बल्ब लगाया हुआ है।	अधीक्षक को निर्देशित किया गया, कि लैब को साफ कराये तथा सामान भी व्यवस्थित ढंग से रखने हेतु कहा गया तथा लैब में एल0ई0डी0 बल्ब का प्रयोग किया जाये।	अधीक्षक, सी0एच0सी0 कौड़िहार
सी0एच0सी0 पर बनाया गया इमरजेन्सी वार्ड गंदा पाया गया, बेड पर डाली गई मैकेन्टास व बेड सीट गंदी थी।	अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि इमरजेन्सी वार्ड की नियमित सफाई करायी जाये एवं वार्ड में इन्फेक्शन प्रीवेन्शन व बायोवेस्ट का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।	अधीक्षक, सी0एच0सी0 कौड़िहार
कुल 38 गर्भवती माताएं 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन वाली रिपोर्ट की गई है। जिन्हें आयरन सुक्रोज इन्जेक्शन भी दिया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उक्त महिलाओं का नियमित फालोअप आशा, ए.एन.एम. के माध्यम से कराया जाये।	समस्त 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन वाली गर्भवती माताओं को आइरन सुक्रोज का इन्जेक्शन भी दिया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उक्त महिलाओं का नियमित फालोअप आशा, ए.एन.एम. के माध्यम से कराया जाये।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर.सी.एच.
एच0एम0आई0एस0 रिपोर्ट व एम0पी0आर0 में विभिन्नता पाई गयी।	प्रत्येक माह डाटा वैलीडेशन कमेटी की बैठक आयोजित किये जाये व बैठक में प्रत्येक इन्डीकेटर के डाटा की जॉच के उपरान्त ही पोर्टल पर रिपोर्ट फीड की जाये, जिससे कि पोर्टल पर सही रिपोर्ट प्रेषित की जा सके।	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक
जे.एस.वाई. की उपलब्धि में गतवर्ष के सापेक्ष गिरावट आई है।	प्रत्येक माह सी0एच0सी0 के अधीक्षक द्वारा एनलेसिस किया जायें, कि कुल संभावित गर्भवती माताओं की संख्या के सापेक्ष रजिस्टर्ड गर्भवती माताओं की संख्या कितनी है, यदि सम्भावित के सापेक्ष पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या में गैप है, तो उक्त गैप किन आशा के क्षेत्र में है। क्षेत्र का निर्धारण होने पर बी0पी0एम0 व बी0सी0पी0एम0 एवं एच0ई0ओ0 द्वारा उक्त क्षेत्र में भ्रमण कर ज्ञात किया जाये कि गर्भवती माताएं पंजीकरण व सेवाएं प्राप्त करने हेतु अस्पताल में क्यों नहीं आ रही हैं। अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि बी0पी0एम0 व बी0सी0पी0एम0 के सहयोग से जे0एस0वाई0 की उपलब्धि में सुधार लाने हेतु कार्ययोजना बनायी जाये।	अधीक्षक / बी.पी.एम. / बी.सी.पी. एम. / एच.ई.ओ.
निरीक्षण के समय एम0सी0पी0 कार्ड देखे जाने पर यह पाया गया कि समस्त गर्भवती माताओं को एम0सी0टी0एस0 नम्बर नहीं दिया जा रहा है व एम0सी0पी0 कार्ड पूर्णरूप से नहीं भरे जा रहे हैं।	अधीक्षक को निर्देशित किया गया, कि वे सुनिश्चित करें, कि ए.एन.एम. प्रत्येक गर्भवती माता को एम.सी.टी.एस. नम्बर उपलब्ध कराये व कार्ड में आवश्यक सभी सूचनाएं प्रत्येक दशा में भरी जायें। यदि आवश्यक हो तो ए.एन.एम. को एम.सी.पी. कार्ड भरे जाने हेतु पुनः प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।	अधीक्षक / बी0पी0एम0
आर0बी0एस0के0 टीम द्वारा रजिस्टर पर समस्त कालम नहीं भरे जा रहे हैं एवं उनके स्तर से बच्चों को एन0आर0सी0 व जिला अस्पताल में संदर्भित भी नहीं किया जा रहा है। भ्रमण के दौरान पाया गया, कि टीम द्वारा पूर्व में संदर्भित के सापेक्ष उपचारित बच्चों का विवरण सी0एच0सी0 के ओ0पी0डी0 रजिस्टर पर नहीं पाया गया।	आर0बी0एस0के0 टीम को निर्देशित किया गया, कि रजिस्टर पर अंकित समस्त कालम में सूचनाएं भरा जाना सुनिश्चित किया जाये एवं बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण ठीक से किया जाये तथा जो बच्चे परीक्षण के दौरान पाये जाते हैं उन्हें संदर्भित किया जाना है, तो उन्हें संदर्भित भी किया जाये। टीम द्वारा संदर्भित बच्चों की सूची उस क्षेत्र की आशा को भी फालोअप हेतु उपलब्ध करायी जाये। टीम द्वारा विगत सप्ताह में कितने बच्चों को संदर्भित किया गया था, जिसके सापेक्ष कितने	नोडल अधिकारी, आर0बी0एस0के0 / डी0ई0आई0 सी0 मैनेजर

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
	बच्चे इलाज किया गया, का भी समीक्षा नियमित रूप से किया जाये।	
आरोबी0एस0के0 टीम के कार्यों की जिला एवं ब्लॉक स्तर पर समीक्षा भी नहीं की जा रही है।	आरोबी0एस0के0 टीम के कार्यों की नियमित समीक्षा की जाये एवं क्षेत्र में औचक निरीक्षण भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उपस्थित अधीक्षक व बी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया, कि वे भी अपने स्तर से आरोबी0एस0के0 टीम के कार्यों की समीक्षा करें।	नोडल अधिकारी, आरोबी0एस0के0/अधीक्षक/ डी0ई0आई0सी0 मैनेजर
एम0डी0एस0आर0 से सम्बन्धित फार्मेट के समस्त कालम नहीं भरे जा रहे हैं।	अधीक्षक को निर्देशित किया गया, कि एम0डी0एस0आर0 के फार्मेट में समस्त सूचनाएं भरा जाना सुनिश्चित करें।	अधीक्षक / बी0पी0एम0
प्रत्येक गर्भवती माता प्रधानमंत्री सुरक्षित अभियान के दिन सी0एच0सी0 पर आकर चिकित्साधिकारी से जॉच अवश्य करायें।	अधीक्षक को निर्देशित किया गया, कि आशा के माध्यम से सुनिश्चित कराये कि प्रत्येक गर्भवती माता कम से कम एक बार महिला चिकित्सक से जॉच आवश्यक रूप से कराये।	अधीक्षक / बी0पी0एम0
टीकाकरण सत्रों पर ए.एन.एम व आशा के पास अपडेटेड ड्यूलिस्ट उपलब्ध होने चाहिए।	आशा, ए.एन.एम. के माध्यम से सूचनाओं को अपडेट कर ड्यूलिस्ट तैयार की जानी चाहिए	अधीक्षक / बी0पी0एम0
वी0एच0एस0एन0सी0 के मद से मेज, कुर्सी, दरी आदि क्रय कर आशा के पास रखा दी जाये जिससे वी.एच.एन.डी. के दिन उपयोग में लाया जा सके।	उक्त के क्रियान्वयन हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी से समन्वय कर सहयोग प्राप्त किया जाये	अधीक्षक / बी0सी0पी0एम0
ए.एन.एम. व आशा को ओपेन वायल पालिसी, कोल्डचेन व किस टीके को कितनी देर तक उपयोग में लाना है, के संदर्भ में पर्याप्त जानकारी नहीं है।	टीकाकरण पर ए.एन.एम. व आशा को रिफ़ेशर ट्रेनिंग दिलाये जाने की आवश्यकता है।	डी0आई0ओ0
आई.एम.आई. की कार्ययोजना देखने पर पाया गया, कि सत्र का निर्धारण मानक के अनुरूप नहीं किया गया।	हेड काउण्ट सर्वे के उपरान्त जिन क्षेत्रों में 15–20 गर्भवती माताएं एवं बच्चे टीकाकरण से वंचित हैं, उन्हें आई.एम.आई. के अन्तर्गत चयनित किया जाये।	डी0आई0ओ0
आई0एम0आई0 सत्र का निरीक्षण ग्राम पट्टना उपहार में किया गया ए0एन0एम0 श्रीमती सुनीता यादव व आशा श्रीमती सीमा यादव उपस्थित थी। सत्र पर ड्यूलिस्ट के अनुसार 05 बच्चों को आना था जिसमें से 01 ही बच्चा टीकाकरण हेतु आया था।	आशा के माध्यम से शत-प्रतिशत सोशल मोबिलाइजेशन सुनिश्चित कराया जाये।	डी0सी0पी0एम0/बी0सी0पी0एम0
निरीक्षण के समय परिसर में खड़ी 102 एम्बुलेन्स का निरीक्षण करने पर पाया गया, कि एम्बुलेन्स के पीछे का दरवाजे को रोकने के लिए रस्सी से बांधी गई है। एम्बुलेन्स की नियमित सफाई नहीं की जा रही है।	ई0एम0टी0 को दरवाजा ठीक कराने हेतु निर्देशित किया गया। अधीक्षक व बी0पी0एम0 को एम्बुलेन्स की नियमित जॉच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	अधीक्षक व बी0पी0एम0

#### निम्न निर्देश दिये गये:

- प्रभारी चिकित्साधिकारी, सी0एच0सी0 कौडिहार को संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जॉच संबंधी कार्ययोजना की जानकारी नहीं थी। ब्लाक पर कोई कार्ययोजना भी नहीं बनाई गई थी। प्रभारी चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि ब्लाक कार्ययोजना को तैयार कर क्रियान्वयन करें। कार्य योजना

- तैयार किये जाने हेतु वेबसाईट [www.whoimmunisationmonitoringtool](http://www.whoimmunisationmonitoringtool) का उपयोग किया जा सकता है। जनपद स्तर पर डी०सी०पी०एम० उक्त वेबसाईट का उपयोग कर कार्ययोजना तैयार करें।
- 2. अधीक्षक को निर्देशित किया गया, कि वे एनलेसिस करें कि कुल संभावित गर्भवती माताओं की संख्या के सापेक्ष रजिस्टर्ड गर्भवती माताओं की संख्या में कितना गैप है व उक्त गैप किन आशा के क्षेत्र में है। क्षेत्र का निर्धारण होने पर बी०पी०एम० व बी०सी०पी०एम० एवं एच०ई०ओ० द्वारा उक्त क्षेत्र में भ्रमण कर ज्ञात किया जाये कि गर्भवती माताएं पंजीकरण व सेवाएं प्राप्त करने हेतु अस्पताल में क्यों नहीं आ रही हैं।
  - 3. कुल 38 गर्भवती माताएं 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन वाली रिपोर्ट की गई है। जिन्हें आयरन सुक्रोज कन्जक्शन भी दिया गया है। किन्तु एम०आई०एस० रिपोर्ट में शून्य पाई गई। इनीमिया ग्रस्त महिलाओं की पहचान कर आयरन सूक्रोज इंजेक्शन सी०एच०सी० में दिया जाये किन्तु प्रसव जिला महिला चिकित्सालय में कराया जाये।
  - 4. मासिक बैठक में ए.एन.एम. व आशा को टीकाकरण पर प्रशिक्षित किया जाये।
  - 5. आर०एन०टी०सी०पी० कार्यक्रम में लाभार्थी को 2 किश्तों में भुगतान किये जाने की जानकारी प्रकाश में आई। लाभार्थी को प्रतिमाह डी०बी०टी० के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
  - 6. 102 एम्बूलेंस के कर्मियों द्वारा गर्भवती एवं प्रसूता महिलाओं को चिकित्सालय में भर्ती करते समय पेशेन्ट केयर रिकार्ड की प्रति चिकित्सालय में नहीं दी जाती है। चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया कि चिकित्सालय की प्रति अवश्य प्राप्त की जाये। इन एवं आउट रजिस्टर देखने को नहीं मिला। निर्देशित किया गया कि इन आउट एम्बूलेंस रजिस्टर चिकित्सालय कर्मी से ही तैयार कराया जाये।
  - 7. सी०एच०सी० लैब का आटो एनालाईजर खराब पड़ा था। जिसे ठीक कराने के निर्देश दिये गये।
  - 8. एच०एम०आई०एस० रिपोर्ट व एम०पी०आर० में विभिन्नता पाई गयी। निर्देशित किया गया, कि डाटा वैलीडेशन कमेटी की बैठक प्रत्येक माह की जाये व बैठक में प्रत्येक इन्डीकेटर के डाटा की जाँच के उपरान्त ही पोर्टल पर रिपोर्ट फीड की जाये, जिससे कि पोर्टल पर सही रिपोर्ट प्रेषित की जा सके।
  - 9. आर०बी०एस०के० टीम द्वारा रजिस्टर पर समस्त कालम नहीं भरे जा रहे हैं एवं उनके स्तर से एन०आर०सी० व जिला अस्पताल को बच्चों को संदर्भित भी नहीं किया जा रहा है एवं आर०बी०एस०के० टीम के कार्यों की ब्लॉक स्तर पर समीक्षा भी नहीं की जा रही है। टीम के द्वारा पूर्व में जो बच्चे संदर्भित भी किए गए थे वे इलाज हेतु सी०एच०सी० पर उपस्थित भी नहीं हुए हैं। अधीक्षक व बी०पी०एम० को निर्देशित किया गया, कि वे भी अपने स्तर से आर०बी०एस०के० टीम के कार्यों की समीक्षा करें एवं सुनिश्चित कराये कि शत-प्रतिशत संदर्भित बच्चे इलाज हेतु उपस्थित हों। आर०बी०एस०के० टीम के सदस्यों को निर्देशित किया कि प्रत्येक ऑगनवाडी/स्कूल में 4 डी० से ग्रस्त बच्चों की पहचान कर उनकी चिकित्सा उपचार करायें।
  - 10. एम०डी०एस०आर० से सम्बन्धित फार्मेट के समस्त कालम नहीं भरे जा रहे हैं, जिसे भरे जाने हेतु निर्देशित किया गया।
  - 11. अधीक्षक को निर्देशित किया गया, कि आशा के माध्यम से सुनिश्चित कराये कि प्रत्येक गर्भवती माता प्रधानमंत्री सुरक्षित अभियान के दिन सी०एच०सी० पर आकर चिकित्साधिकारी से जाँच अवश्य करायें।
  - 12. टीकाकरण सत्रों पर ए.एन.एम. व आशा के पास अपडेटेड ड्र्यूलिस्ट उपलब्ध होने चाहिए एवं वी०एच०एन०डी० के दिन मानक के अनुरूप सेवाएं देना सुनिश्चित किया जाये।
  - 13. वी०एच०एस०एन०सी० के मद से मेज, कुर्सी, दरी आदि क्रय कर आशा के पास रखा दी जाये जिससे वी.एच. एन.डी. के दिन उपयोग में लाया जा सके।
  - 14. प्रसव कक्ष के बगल के कक्ष में एन०बी०एस०य०० कक्ष तैयार कर कियाशील कराये।
  - 15. एफ०आर०य०० हेतु ब्लड स्टोरेज यूनिट का मॉगपत्र चिकित्सा अधीक्षक मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
  - 16. वित्तीय वर्ष 2018–19 में अब तक 13 सी० सेक्शन किये गये हैं। सी० सेक्शन किये जाने हेतु ओ०टी० को मानकानुसार तैयार कर सेवा दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय कार्यक्रम अधिकारियों/ब्लॉक प्रभारी, बी0पी0एम0, बी0सी0पी0एम0 व ब्लॉक लेखा प्रबन्धक के साथ बैठक—

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
समीक्षा में पाया गया, कि जनपद में जै0एस0वाई0 उपलब्धि में गत वर्ष के सापेक्ष गिरावट आई है।	समस्त प्रभारियों को निर्देशित किया गया, कि संस्थागत प्रसव की उपलब्धि में सुधार लाने हेतु बी0पी0एम0 व बी0सी0पी0एम0 के सहयोग से कार्ययोजना तैयार की जाये।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर.सी.एच./जिला कार्यक्रम प्रबन्धक
आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम की उपलब्धि असंतोषजनक पाया गया।	नोडल आर0बी0एस0के0 को निर्देशित किया गया, कि प्रत्येक माह आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम की उपलब्धि का बिन्दुवार समीक्षा किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं डी0ई0आई0सी0 मैनेजर मैनेजर भी माह में 08 दिन क्षेत्र भ्रमण कर रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराये।	नोडल अधिकारी, आर0बी0एस0के0 /डी0ई0आई0सी0 मैनेजर
वी0एच0एन0डी0 का आयोजन मानक के अनुसार नहीं किया जा रहा है और न ही वी0एच0एन0डी0 आयोजित किये जाने वाले स्थान पर कुर्सी मेज, दरी आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है।	वी0एच0एन0डी0 का आयोजन मानक के अनुरूप किया जाये। वी0एच0एस0एन0सी0 के मद से वी0एच0एन0डी0 हेतु कुर्सी मेज, दरी आदि क्रय करा ली जाये।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर.सी.एच./ डी.सी.पी.एम.
भ्रमण के दौरान पाया गया कि क्षेत्र में कार्यरत एन0एन0एम0 को टीकाकरण से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी नहीं है।	एन0एन0एम0 को टीकाकरण पर पुनः प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।	जिला प्रतिरक्षण अधिकारी
भ्रमण के दौरान पाया गया, कि हेल्थ वेलनेस सेण्टर पर तैनात सी0एच0ओ0 को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की उन्हें पूर्ण जानकारी नहीं है और न ही उन्हें एन0एच0एम0 के अन्तर्गत क्रियान्वित कार्यों की पूर्ण जानकारी है।	हेल्थ वेलनेस सेण्टर पर तैनात सी0एच0ओ0 के कार्यों की समीक्षा की जाये एवं उन्हें पुनः एन0एच0एम0 से सम्बन्धित गतिविधियों में प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।	नोडल अधिकारी, हेल्थ वेलनेस सेण्टर एवं सम्बन्धित इकाई प्रभारी
जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा सपोर्टिव सुपरवीजन नहीं किया जा रहा है एवं किये गये सुपरवीजन की गुणवत्ता भी असन्तोषजनक है।	निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जाये सपोर्टिव सुपरवीजन किया जाये एवं सपोर्टिव सुपरवीजन किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कौन-कौन से बिन्दु देखे जाने हैं।	समस्त जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी
भ्रमण के दौरान पाया गया, कि सबसेप्टर, प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एन.एच.एम. के अन्तर्गत क्रियान्वित गतिविधियों की आई.इ.सी. का अभाव है।	सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर एन0एच0एम0 से सम्बन्धित गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने की आवश्यकता है।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर.सी.एच.
भ्रमण के दौरान पाया गया, कि भौतिक उपलब्धि के सापेक्ष वित्तीय प्रगति असंतोषजनक है।	जिला एवं ब्लॉक स्तर पर जो गतिविधियाँ पूर्ण की जा चुकी हैं उनके सापेक्ष नियमानुसार व्यय भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये।	डी0पी0एम0यू0/बी0पी0एम0यू0
समीक्षा में पाया गया, कि ब्लॉक मेजा में आशा का भुगतान लम्बित है व सैदाबाद में प्रति आशा भुगतान कम है।	डी0सी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि वे आशाओं का भुगतान प्रत्येक माह समय से कराया जाना सुनिश्चित करें एवं जिन ब्लॉकों में आशाओं का भुगतान समय से नहीं हो पा रहा है, उन ब्लॉकों की सूची से मुख्य चिकित्साधिकारी को अवगत कराये।	जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक
समीक्षा में पाया गया, कि ए0पी0एच0सी0 हेतु अनुमोदित	डी0सी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया, कि वे सुनिश्चित कराये कि एडनीशल पी0एच0सी0 हेतु	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर.सी.एच./ डी0सी0पी0एम0

आर०के०एस० बजट के व्यय में ए०पी०एच०सी० के प्रभारी से प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया जा रहा है।	आवंटित आर०के०एस० मद का उपयोग ऐडनीशल पीएचसी के प्रभारियों से प्रस्ताव प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये।	
अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, डी०पी०एम०, डी०सी०पी०एम०, डैम, अर्बन क्वार्डिनेटर, क्वालिटी कन्सल्टेंट व डी०ई०आई०सी० द्वारा किये जा रहे क्षेत्र भ्रमण का फीडबैक नोडल अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे पाये गये कर्मियों का निराकरण करा पाना सम्भव नहीं हो रहा है।	अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, डी०पी०एम०, डी०सी०पी०एम०, डैम, अर्बन क्वार्डिनेटर, क्वालिटी कन्सल्टेंट व डी०ई०आई०सी० को निर्देशित किया गया कि वे क्षेत्र में भ्रमण कर रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी को दें। जिससे कि स्थिति में सुधार आये।	अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, डी०पी०एम०, डी०सी०पी०एम०, डैम, अर्बन क्वार्डिनेटर, क्वालिटी कन्सल्टेंट व डी०ई०आई०सी०
समीक्षा में पाया गया, कि एन.एच.एम. गतिविधियों के व्यय की समीक्षा नहीं करायी जा रही है।	डी०पी०एम० व डैम को निर्देशित किया गया कि साप्ताहिक जिला एवं ब्लॉकवार व्यय की समीक्षा मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में कराना सुनिश्चित करें।	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/लेखा प्रबन्धक


#### निम्न निर्देश दिये गये:

1. निर्देशित किया गया कि टीकाकरण की भौतिक रिपोर्ट के सापेक्ष जनपद की जनसंख्या के अनुरूप लक्षित शिशुओं के सापेक्ष हो रहे टीकाकरण का विश्लेषण करें। लक्षित शिशुओं के सापेक्ष टीकाकरण की स्थिति की कार्ययोजना आशावार तैयार की जायें। उपकेन्द्र स्तर पर संकलित कराई जाये। ब्लाक स्तर पर कार्ययोजना और टीकाकृत शिशुओं की संख्या का विश्लेषण कर अन्तर निकाले और कार्यवाही करें। शहरी क्षेत्र के नर्सिंग होम्स का भी सहयोग प्राप्त करें।
2. मात्र एवं शिशु स्वास्थ्य हेतु आशा स्तर पर माइक्रोप्लान बनवायें और कार्ययोजना अनुसार प्रसव/टीकाकरण सेवायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सेवा देने के उपरान्त अपने ऑकडो का विश्लेषण करें कि ए०एन०सी० कितनी होनी थी और कितनी हुई। संरथागत प्रसव कितने होने थे और कितने हुए। यह फार्मूला जननी सुरक्षा योजना/जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आदि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में लागू होगा।
3. समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारियों की राज्य स्तर से प्रेषित गाईडलाईन अनुसार क्षमतावृद्धि प्रत्येक माह की बैठक में पृथक से करना सुनिश्चित करें। प्रत्येक गाईडलाईन का कार्यक्रम अधिकारी प्रस्तुतिकरण तैयार कर चिकित्साधिकारियों को अवगत करायेंगे।
4. समस्त स्तरों पर उपलब्धियों की समीक्षा विगत वर्ष के ऑकडो से किया जाये। जिन कार्यक्रमों/गतिविधियों/कर्मियों की उपलब्धियों में डाउनफाल आ रहा हो पर कारण बताओं नोटिस जारी करें। जिससे गतिविधियों/कार्यक्रमों/कर्मियों में सुधार आ सके।
5. जिला स्वास्थ्य समिति के सम्मुख किये जा रहे प्रस्तुतिकरण में प्रदर्शित चिन्हित बीमार एवं ४ डी० से प्रभावित बच्चों की संख्या ८७६९ के सापेक्ष उपचारित ६४०६ शिशुओं की संख्या का पुनः परीक्षण कराने हेतु नोडल अधिकारी आर०बी०एस०के० एवं डी०ई०आई०सी० को निर्देशित किया गया।
6. जनपद में चयनित समस्त हैल्थ एण्ड वैलनेस सेण्टर्स का पुनः मूल्यांकन कर लें। समस्त सी०एच०ओ० द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जानकारी बैठक बुलाकर प्रस्तुतिकरण के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। जनपद स्तर पर छोटे समूहों में प्रभारी चिकित्साधिकारी और सी०एच०ओ० को प्रशिक्षित करना सुनिश्चित करें। राज्य स्तर से कैपसूल प्रशिक्षण पर विचार किया जायेगा।
7. जनपद स्तर पर विभिन्न इकाईयों में कार्य कर रहे कर्मियों की क्षमता वृद्धि हेतु अन्य स्वास्थ्य संगठनों यथा टी०एस०य००, यूनिसेफ, डब्ल्य०एच०ओ० आदि का सहयोग लेना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि डी०पी०एम०/डी०सी०पी०एम०/डी०ए०एम०/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक/डी०ई०आई०सी० प्रबन्धक/क्वालिटी प्रबन्धक जनपद की इकाईयों में अपेक्षा अनुसार सहयोगात्मक पर्यवेक्षण नहीं करते हैं। और न ही लिखित में रिपोर्ट शेयर करते हैं। कार्यक्रमों की कर्मियों की जानकारी समय पर नहीं हो पाती है। समस्त प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि प्रतिमाह निर्धारित सहयोगात्मक भ्रमण कर मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज को लिखित रिपोर्ट देते हुए अवगत कराना सुनिश्चित

करेंगे। जिला लेखा प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि कार्यक्रमवार प्रति सप्ताह एफ०एम०आर० कोडवार फैसीलिटीवार स्वीकृत बजट एवं व्यय की स्थिति हार्ड कॉपी में मुख्य चिकित्साधिकारी को देना सुनिश्चित करें।

**दिनांक 30.11.2018**

**प्रमण स्थान – जिला महिला चिकित्सालय, प्रयागराज**



मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
जिला महिला चिकित्सालय में महिला वार्ड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि अधिकांश महिलाओं के पास दूध के पैकेट रखे हुए थे। जो अस्पताल द्वारा दिए गए थे। जिसे मरीज द्वारा अपने रिश्तेदारों द्वारा बाहर से गर्म कराना पड़ता है।	एस०आई०सी० को सुझाव दिया गया कि दूध को गर्म कराने की व्यवस्था अस्पताल के रसोई घर के माध्यम से करा दी जाये। अन्यथा की स्थिति में महिलाओं को गर्म दूध दिया जाये।	एस०आई०सी०
जिला महिला चिकित्सालय में राज्य बजट से गर्भवती माताओं का डाइट दी जा रही है। एस०आई०सी० द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त गर्भवती माताओं को भोजन थाली में नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि प्रायः थाली चोरी हो जाती है।	एस०आई०सी० को सुझाव दिया गया कि भोजन थाली में ही दिया जाये एवं उस वक्त ड्युटी पर तैनात स्टाफ नर्स को निर्देशित किया जाये कि वे वार्ड आया के माध्यम से लाभार्थियों से थाली प्राप्त कर किचेन को प्राप्त करा दें।	एस०आई०सी०
एस०आई०सी० द्वारा अवगत कराया गया कि एक ही रेडियोलॉजिस्ट तैनात है एवं 03 क्रियाशील अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध है। उसके उपरान्त भी समस्त गर्भवती माताओं का अल्ट्रासाउण्ड नहीं हो पाता।	एस०आई०सी० को सुझाव दिया गया कि समस्त गाइनी डाक्टर्स को अल्ट्रासाउण्ड देखने हेतु तैनात रेडियोलॉजिस्ट के माध्यम से प्रशिक्षित करा दिया जाये।	एस०आई०सी०
भ्रमण में यह भी पाया गया कि महिला वार्ड में भर्ती महिलाओं को स्तनपान कराये जाने की सही जानकारी नहीं थी।	उपस्थित स्टाफ नर्स को निर्देशित किया गया, कि वे स्तनपान के बारे में मॉ को न सिर्फ जानकारी दें बल्कि यह भी बताये कि शिशु को कैसे स्तन से लगाना है एवं वार्ड में लगे टेलीवीजन के माध्यम से भी स्तनपान इत्यादि के विषय में नियमित प्रचार-प्रसार कराया जाये।	एस०आई०सी०
औषधि भण्डार में डी० वी० डी० एम० एस० पोर्टल पर दवाओं का अंकन किया जा रहा है।	सुझाव दिया गया कि पोर्टल पर फीडबैक दे कि उन्हें यह भी पोर्टल के माध्यम से ज्ञात हो सके,	एस०आई०सी०

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
	कि कौन-सी दवाओं का बफर स्टॉक समाप्त होने वाला है।	
सम्पूर्ण क्लीनिक क्रियाशील है, किन्तु लाभार्थियों का नियमित फालोअप नहीं हो पा रहा है।	सम्पूर्ण क्लीनिक का आशा के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने की आवश्यकता है एवं लाभार्थियों की सूची आशाओं को उपलब्ध करायी जाये जिससे लाभार्थियों का नियमित फालोअप हो सके।	डी0सी0पी0एम0
पी.ओ.सिटी एवं चन्दन डाइग्नोस्टिक जो कि शासन द्वारा इप्पैनल्ड लैब है, परन्तु संज्ञान में आया कि पी.ओ.सिटी के पास पैथालॉजिस्ट नहीं है परन्तु जॉच रिपोर्ट में पैथालॉजिस्ट के स्थान पर एजेन्सी के द्वारा हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं।	एस.आई.सी. को सुझाव दिया गया कि अनुबन्ध में दिये गये नियम एवं शर्तों का अध्ययन कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।	एस.आई.सी.
रोगी सहायता मैनेजर द्वारा रोगियों से प्राप्त फीडबैक का एनालिसिस नहीं किया जा रहा है	रोगी सहायता मैनेजर को निर्देशित किया गया कि वे प्रत्येक माह रोगियों से फीडबैक का एनालिसिस कर एस0आई0सी0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें।	रोगी सहायता मैनेजर
एन.एच.एम. के अन्तर्गत तैनात डाटा इन्ट्री आपरेटर कैन्सर से पीछित होने के कारण नियमित रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं जिसपर एस0आई0सी0 द्वारा एक अन्य डाटा इन्ट्री आपरेटर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।	एस.आई.सी. को सुझाव दिया गया, कि सर्वप्रथम डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा कार्य न किये जाने के सम्बन्ध में डाटा इन्ट्री आपरेटर को पद से हटाये जाने की संस्तुति करते हुए अन्य डाटा इन्ट्री आपरेटर की मौँग पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित करें।	एस.आई.सी./अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर.सी.एच./जिला कार्यक्रम अधिकारी

#### निम्न निर्देश दिये गये:

- जिला महिला चिकित्सालय में विगत वर्ष की तुलना में 547 संस्थागत प्रसवों की गिरावट दर्ज की गई है। सी0सेक्शन में वृद्धि हुई है। संस्थागत प्रसवों की संख्या पूरे जनपद में लगभग 1000 केस की गिरावट पाई गई। शहरी समन्वयक को निर्देशित किया गया कि शहरी क्षेत्र में तैनात समस्त आशाओं/ए0एन0एम0 के क्षेत्र की माईको प्लानिंग कराकर संस्थागत प्रसव बढ़ाने के प्रयास किये जाये।
- डा0 मनीषा गुप्ता, प्रभारी एस0आई0सी0, जिला महिला चिकित्सालय को सुझाव दिया गया कि आब्सट्रेक्टिक गॉयनोकालॉजिस्ट को अल्ट्रासाउण्ड में प्रशिक्षित कराकर तीनों मशीनों का सदुपयोग किया जा सकता है।
- पैथालाजी सेवाओं हेतु नियमित लैब के अतिरिक्त दो अन्य एजेंसी पी0ओ0सिटी और चंदन हैल्थ केयर द्वारा सेवायें दी जा रही हैं। पी0ओ0सिटी द्वारा पैथालॉजी रिपोर्ट बिना पैथालॉजिस्ट के हस्ताक्षर की दी जा रही है। संज्ञान में लाया गया कि पी0ओ0सिटी के यहाँ। पैथालाजिस्ट नहीं है। निर्देशित किया गया कि अनुबंध का भली भूति परीक्षण कर लें और पैनाल्टी क्लास को लगाते हुए यथा स्थान पत्राचार करें। दोनों एजेंसी के साथ एम0ओ0यू0 अनुसार जॉच बेड साइट पर कराना सुनिश्चित करें। आउट सोर्स एजेंसी द्वारा रात्रि 8 बजे तक ही सम्प्ल लिये जाते हैं।
- डाईट के संबंध में संज्ञान में लाया गया कि राज्य स्तर से डाईट हेतु धनराशि एन0एच0एम0 की राशि से अधिक है। जिला महिला चिकित्सालय में यह राशि रु0 150 से रु0 200 प्रति लाभार्थी है। निर्देशित किया गया कि डाईट हेतु जारी वर्तमान बजट एवं दिशानिर्देश महानिदेशालय से प्राप्त किया जाये।
- कम्यूनिटी एवं फैसीलिटी लिंकेज हेतु निर्देशित किया गया कि जनपद की समस्त इकाईयों के व्हाट्सएप समूह बनाकर सेवाओं में समन्वय स्थापित किया जा सकता है।
- जिला महिला चिकित्सालय में महिला नसबन्दी हेतु शहरी क्षेत्र की समस्त आशाओं/ए0एन0एम0 की बैठक जिला महिला चिकित्सालय स्तर पर आयोजित कराई जानी चाहिए। बैठक के कार्यवृत्त कम्यूनिटी प्रोसेस अनुभाग को भेजे जाये।

7. मैटरनल डैथ आडिट मानकानुसार पूर्ण करें। प्रपत्रों को ऑनडयूटी चिकित्सकों द्वारा ही भरा जाये। फार्म पर मोबाइल नम्बर आदि की सूचना स्पष्ट अंकों में भरी जाये।
8. जी0डी0एम0 कार्यक्रम के अंतर्गत विगत छः माह से 75 ग्राम ग्लूकोज की उपलब्धता नहीं है। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच0 को निर्देशित किया गया कि नियमानुसार जिला महिला चिकित्सालय को जी0डी0एम0 के अंतर्गत ग्लूकोज की उपलब्धता सुनिश्चित करायें।
9. शहरी क्षेत्र की समस्त ए0एन0एम0 को टीकाकरण की ओपन वायल पालिसी पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिये जाने हेतु महिला चिकित्सालय की डा0 वंदना श्रीवास्तव द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। शहरी समन्वयक को निर्देशित किया गया कि अतिशीघ्र बैठक / प्रशिक्षण आयोजित कराये।
10. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच0 को जिला महिला चिकित्सालय से मॉगपत्र प्राप्त कर एक ऑपरेटर चयनित एजेंसी से दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
11. जिला महिला चिकित्सालय में एन0एच0एम0 से तैनात लेखाकार को निर्देशित किया गया कि लेखा कार्यों के अतिरिक्त एस0आई0सी0 द्वारा दिये गये कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिला लेखा प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि लेखाकार को पी0एफ0एम0एस0 निकालने हेतु अभिमुखीकरण करना सुनिश्चित करायें।

#### भ्रमण स्थान – एस0एन0सी0यू0 जिला महिला चिकित्सालय, प्रयागराज।

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
निरीक्षण के समय 9 बच्चे भर्ती थे। अधिकांश बच्चे Inborn थे। डिस्चार्ज के बाद बच्चों का फालोअप नहीं हो पाता है,	सुझाव दिया गया कि डिस्चार्ज बच्चों की लिस्ट डी0सी0पी0एम0 को उपलब्ध करा दी जाये जिसे डी0सी0पी0एम0 ब्लॉक में बी0सी0पी0एम0 को उपलब्ध करा दें, जिससे आशा के माध्यम से बच्चों का फॉलोअप सुनिश्चित किया जा सके।	डी0सी0पी0एम0 / बी0सी0पी0एम0

#### निम्न निर्देश दिये गये:

1. एस0एन0सी0यू0 में उपचारित शिशुओं का फालोअप क्षेत्रीय आशाओं से कराये जाने हेतु डी0सी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया। एस0एन0सी0यू0 / डी0सी0पी0एम0 / आशा में लिंकेज स्थापित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। राज्य स्तर पर समस्त एस0एन0सी0यू0 के विकित्सकों का व्हाटसएप समूह बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। एस0एन0सी0यू0 हेतु स्टॉक बुक मेण्टीनेंस को ऑनलाईन किये जाने हेतु कार्यवाही जायेगी।
2. राज्य स्तर से कराई जायेगी। इसे [updvdms.dcservices.in](http://updvdms.dcservices.in) पोर्टल से जोड़ने की संभावना को तलाशा जायेगा।




#### भ्रमण स्थान – एन0सी0डी0 क्लीनिक, मोतीलाल नेहरू मण्डलीय चिकित्सालय, प्रयागराज

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
भ्रमण के दौरान एन.सी.डी. क्लीनिक में आई.ई.सी. नहीं पायी गई।	एन0सी0डी0 क्लीनिक में आई0ई0सी0 कराये जाने की आवश्यकता है।	नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 क्लीनिक
एन0सी0डी0 क्लीनिक में तैनात काउन्सलर को कार्यक्रम के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं थी।	एन0सी0डी0 क्लीनिक में तैनात काउन्सलर को ट्रेनिंग दिए जाने की आवश्यकता है एवं काउन्सलर को भी निर्देशित किया गया कि वे खाली समय में इण्टरनेट के माध्यम से अपना ज्ञानवर्द्धन करें। जिससे कि वे सही ढंग से काउन्सिलिंग कर सकें।	नोडल अधिकारी / काउन्सलर, एन0सी0डी0 क्लीनिक

## निम्न निर्देश दिये गये:

- नोडल अधिकारी एन०सी०डी० को निर्देशित किया गया कि एन०सी०डी० विलनिक को समय पर दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। आई०सी०सी० मैटीरियल छपवाकर उपलब्ध कराया जाये। काउंसलर को प्रशिक्षण यथाशीघ्र कराया जाये। राज्य स्तर पर बने व्हाट्सएप समूह में एन०सी०डी० विलनिक के चिकित्सक का मोबाइल नम्बर जोड़ना सुनिश्चित किया जाये। एन०सी०डी० की रिपोर्टिंग के एम०आई०एस० की स्थिति से अतिशीघ्र चिकित्सक को अवगत कराया जायेगा।



## भ्रमण स्थान – मनकक्ष (मेन्टल हेल्थ क्लीनिक)

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
सोमवार, शुक्रवार व शनिवार को ओ०पी०डी० व शेष 03 दिन मंगलवार, बुधवार व बृहस्पतिवार को तैनात चिकित्सक एवं समस्त स्टाफ नर्स द्वारा क्षेत्र भ्रमण किया जाता है।	चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स द्वारा मात्र ब्लॉक सी०एच०सी० पर ही भ्रमण किया जा रहा है, जिसके क्रम में निर्देशित किया गया कि स्टाफ नर्स द्वारा एक-दो दिन पूर्व समुदाय में भ्रमण कर जानकारी दी जाये कि सी०एच०सी० पर कैम्प लगाकर किस तरह की सेवाएं दी जायेगी एवं समुदाय से केस चिह्नित कर कैम्प वाले दिन भेजे जाये। चिह्नित केसों की सूची आशा को भी उपलब्ध करायी जाये जिससे कि केसों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जा सके।	नोडल अधिकारी, मेन्टल हेल्थ क्लीनिक
टीम के कार्यों की कोई मॉनीटरिंग नहीं की जा रही है।	नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया, कि नियमित रूप से टीम के कार्यों की मॉनीटरिंग की जाये।	नोडल अधिकारी
टीम द्वारा अवगत कराया गया, कि उनके द्वारा 14.08.2018 को नोडल अधिकारी से दवाओं की मॉगी की गई थी, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।	नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया कि समय से दवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	नोडल अधिकारी
सी.एच.सी. पर किये गये भ्रमण की कोई भी रिपोर्ट नहीं थी, जिससे यह पुष्टि हो कि टीम द्वारा किस तारीख को किस सी.एच.सी. पर भ्रमण किया गया व वहाँ रहकर क्या कार्य किया गया।	नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया कि टीम जिस दिन भी सी०एच०सी० पर जाती है, तो वहाँ के अधीक्षक से स्टाफ की उपस्थिति एवं किए गए कार्य का प्रमाण पत्र लेकर आयेगी।	नोडल अधिकारी

## निम्न निर्देश दिये गये:

- मनकक्ष का उपयोग प्रभावी तरीके से नहीं किया जा रहा है। अपेक्षित मानसिक रोगियों की काउंसिलिंग नहीं की जा रही है। विलनिकल साइकोलाजिस्ट को मॉगअनुसार उपकरण नहीं दिये गये हैं। चयनित सी०एच०सी० पर निर्धारित दिवसों पर जाने पर उपस्थिति क्षेत्र से नहीं ली जा रही है। नोडल अधिकारी एन०पी०सी०डी०सी०एस० को निर्देशित किया गया कि जनपदीय अनुश्रवण प्लान तैयार कर उपरोक्त समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र सुनिश्चित करायें। साइकियाट्रिक सोशल वर्कर समुदाय में जाकर मनोरोगियों की पहचान कर चिकित्सक से इलाज कराना सुनिश्चित करें। साइकियाट्रिक सोशल वर्कर आशाओं/ए०एन०एम० के साथ समन्वय कर मनोरोगियों की पहचान करना सुनिश्चित करें। प्रतिदिन 2 सी०एच०सी० की कार्ययोजना बनाकर कार्य करें।



### भ्रमण स्थान – तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, कक्ष-

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
<b>Spirometer</b> में उपयोग होने वाला माऊथपीस विगत 15 दिनों से नहीं है, जिसे काउन्सलर द्वारा उपलब्ध एक ही माऊथपीस को स्प्रिट से साफकर प्रयोग में लाया जा रहा है।	उपस्थित काउन्सलर को निर्देशित किया गया, कि बफर स्टॉक समाप्त होने से पूर्व पर्याप्त समय रहते नोडल अधिकारी से डिमाण्ड करना सुनिश्चित करें।	नोडल अधिकारी / काउन्सलर
तम्बाकू नियंत्रण कक्ष में एन.सी.डी. सेल से सम्बन्धित आई.ई.सी. रखी हुई पायी गई, जबकि एन.सी.डी. सेल में कोई भी आई.ई.सी. नहीं लगायी गयी है।	नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया कि आई.ई.सी. सही स्थान पर पहुँचवाना एवं लगवाना सुनिश्चित किया जाये।	नोडल अधिकारी

### निम्न निर्देश दिये गये:

1. नोडल अधिकारी ई०एन०टी० चिकित्सक को निर्देशित किया कि विलनिक का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करें। रोगियों के व्यवहार परिवर्तन संबंधी गतिविधियों में काउन्सलर को दक्ष करें। समय पर विलनिक की सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित कराये।



### भ्रमण स्थान – डिफनेश (बधिरता) सेण्टर

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
डिफनेश सेण्टर में अस्पताल में ओ०पी०डी० में बच्चों का ही इलाज किया जा रहा है। उक्त सेण्टर का समुचित लाभ जनमानस को प्राप्त नहीं हो पा रहा है।	डी.ई.आई.सी.मैनेजर को निर्देशित किया गया, कि आर०बी०एस०के० टीम द्वारा जरुरतमंद बच्चों को संदर्भित कराया जाये एवं सी०एच०सी० / पी०एच०सी० पर उक्त का प्रचार-प्रसार कराये जाने की आवश्यकता है।	नोडल अधिकारी—आर०बी०एस०के० एवं डी.ई.आई.सी.मैनेजर

### निम्न निर्देश दिये गये:

1. नोडल अधिकारी आर०बी०एस०के० एवं डी०ई०आई०सी० मैनेजर को निर्देशित किया कि जनपद की समस्त आर०बी०एस०के० टीम को जानकारी दी जाये कि बधिर बच्चों के परीक्षण हेतु सर्वप्रथम जिला चिकित्सालय में लाया जाये और इलाज कराया जाये।



## भ्रमण स्थान – शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजरूपपुर (ई0यू0पी0एच0सी0), प्रयागराज

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
केन्द्र ई0 यू0 पी0 एच0 सी0 के केन्द्र अन्तर्गत संचालित है, परन्तु केन्द्र चिकित्साधिकारी द्वारा पोर्टल पर मरीजों की हिस्ट्री अंकित नहीं की जा रही है।	चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया, कि मरीजों की हिस्ट्री पोर्टल पर अवश्य अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जायें।	नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम.
केन्द्र पर आई0 एम0 आई0 की कार्ययोजना नहीं पायी गई।	चिकित्साधिकारी व शहरी स्वास्थ्य समन्वयक को निर्देशित किया गया, कि प्रत्येक इकाई पर आई. एम.आई. व नियमित टीकाकरण की कार्ययोजना आवश्यक रूप से रखी जाये।	नोडल अधिकारी / शहरी स्वास्थ्य समन्वयक
ई0यू0पी0एच0सी0 पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार जिन शिशुओं को टीका लगाया गया था, उनका फॉलोअप नहीं किया जा रहा है।	चिकित्साधिकारी व शहरी स्वास्थ्य समन्वयक को निर्देशित किया गया, कि आशा/ए.एन.एम. के माध्यम फालोअप कराते हुए शिशुओं को समस्त टीके लगवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।	चिकित्साधिकारी व शहरी स्वास्थ्य समन्वयक
ई0यू0पी0एच0सी0 पर ओ0पी0डी0 का औसत बहुत कम है।	चिकित्साधिकारी व शहरी स्वास्थ्य समन्वयक को निर्देशित किया गया कि ई0यू0पी0एच0सी0 पर उपलब्ध सेवाओं के बारे में आशा, ए.एन.एम. के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।	चिकित्साधिकारी व शहरी स्वास्थ्य समन्वयक
आर0सी0एच0 रजिस्टर ए0एन0एम0 के पास उपलब्ध नहीं पाया गया।	नोडल एन.यू.एच.एम. व शहरी स्वास्थ्य समन्वयक को निर्देशित किया गया, कि समस्त ए.एन.एम. को आर0सी0एच0 रजिस्टर उपलब्ध कराते हुए समस्त सूचनाएं भराया जाना सुनिश्चित करें।	नोडल एन.यू.एच.एम. व शहरी स्वास्थ्य समन्वयक
समुदाय में इकाई के विषय में जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया कि इकाई पर तैनात स्टाफ नियमित एवं समय से नहीं आते हैं।	मुख्य चिकित्साधिकारी को उक्त से अवगत कराते हुए अनुरोध किया गया कि वे अपने स्तर से उक्त की जाँच कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।	मुख्य चिकित्साधिकारी

### निम्न निर्देश दिये गये:

1. नोडल अधिकारी शहरी स्वास्थ्य को ई0यू0पी0एच0सी0 कंसेप्ट को समझने हेतु सुझाव दिया गया। चिकित्सालय का ओ0पी0डी0 औसत मात्र 50 से कम पाया गया। चिकित्सक मरीजों की हिस्ट्री नहीं लिख रहे। पोर्टल में ड्रग स्पेसिफिक को जोड़ने का ऑपशन नहीं पाया गया। ऑनलाईन व्यवस्था अप्डर यूटीलाईज पाई गई। यू0पी0एच0सी0 पर पैथालाजिकल जॉचों का विस्तार किया जाना है। चिकित्सालय स्तर पर मिशन इन्ड्रधनुष का माईकोप्लान कंपाईल्ड नहीं पाया गया। चिकित्साधिकारी के अवकाश पर जाने पर प्रतिस्थानी की व्यवस्था जनपद स्तर से नहीं होती है। तैनात ए0एन0एम0 द्वारा प्रथम बार टीका लगाने के बाद प्रत्येक गर्भवती अथवा शिशु का फॉलोअप नहीं किया जाता है। आई0एल0आर0 की लागबुक में चिकित्सक के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। प्रभारी चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन ओ0पी0डी0 प्रारम्भ करने से पहले चिकित्सालय के प्रत्येक कक्ष का निरीक्षण कर कमियों को दूर कराये। ई-पी0एच0सी0 ऑनलाईन पोर्टल पर प्रभावी तरीके से कार्य करना सुनिश्चित करें।
2. स्वास्थ्य केन्द्र के नजदीकी परिवारों से संपर्क करने पर जानकारी हुई कि चिकित्सालय नियमित रूप से समस्त सेवायें नहीं प्रदान करता है। चिकित्सक नियमित रूप से नहीं आते हैं। दवाईयाँ नहीं मिलती हैं।



### भ्रमण स्थान – पोषण पुर्नवास केन्द्र (एन.आर.सी.) सरोजनी नायडु बाल चिकित्सालय, प्रयागराज।

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
भ्रमण के समय एन.आर.सी. में कोई स्टाफ नर्स उपस्थित नहीं थी, बताया गया कि संविदा की 2 स्टाफ नर्स एन.आर.सी. में तैनात हैं।	उपस्थित रेजीडेंट डाक्टर को निर्देशित किया गया, कि वे एन.आर.सी. में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों की सूचना विभागाध्यक्ष के माध्यम से मुख्य चिकित्साधिकारी को भेजना सुनिश्चित करायें।	विभागाध्यक्ष, बालरोग,
एन.आर.सी. का आर0ओ0 क्रियाशील नहीं था	रेजीडेंट डाक्टर को निर्देशित किया गया, कि आपरेशनल कॉस्ट से उक्त आर0ओ0 को ठीक करा लिया जाए।	विभागाध्यक्ष, बालरोग,
एन.आर.सी. में मानक के अनुरूप प्रोटोकाल से सम्बन्धित आई.ई.सी. नहीं करायी गई थी	डी.सी.पी.एम. को निर्देशित किया गया, कि यूनिसेफ के प्रतिनिधि से समन्वय कर आई.ई.सी. कराया जाना सुनिश्चित करें।	डी.सी.पी.एम.
डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया है	विभागाध्यक्ष से अपेक्षा की गई कि वे मुख्य चिकित्साधिकारी को लिखित रूप में सूचित करें।	विभागाध्यक्ष / जिला कार्यक्रम प्रबन्धक

#### निम्न निर्देश दिये गये:

- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि एन0आर0सी0 हेतु एक ऑपरेटर चयनित एजेंसी से दिलाना सुनिश्चित करें। पूर्व में कार्य कर रहे ऑपरेटर से समस्त अभिलेख एन0आर0सी0 में रखवाना सुनिश्चित करें। डेढ़ माह से अनुपस्थित चल रही स्टाफ नर्स जेनी की जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।



### भ्रमण स्थान – एस.एन.सी.यू., सरोजनी नायडु बाल चिकित्सालय, प्रयागराज

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
नई आटोकलेव उपलब्ध है, किन्तु क्रियाशील नहीं है	रेजीडेंट डाक्टर को निर्देशित किया गया, कि जिस फर्म से आटोकलेव मशीन क्रय की गई है, उसे क्रियाशील किए जाने हेतु विभागाध्यक्ष से पत्र निर्गत कराया जाये।	विभागाध्यक्ष

#### निम्न निर्देश दिये गये:

- डी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि दिशानिर्देशानुसार रिक्त स्टाफ नर्स के पद पर भर्ती अतिशीघ्र कराना सुनिश्चित करें।

मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में समस्त मण्डलीय एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक:-

दिनांक 30.11.2018 को मण्डलीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय में आयोजित बैठक में कार्यों की समीक्षा की गई एवं यह पाया गया, कि


मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
नियमित मण्डलीय समीक्षा बैठक	मण्डलीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा नियमित रूप से अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित करायी जा रही है, जिसमें सभी योजनाओं एवं मदों पर विन्दुवार विस्तृत चर्चा की जाती है, जिसका कार्यवृत्त का अवलोकन किया गया।	डी0पी0एम0
मण्डल के जनपदों की नियमित वित्तीय समीक्षा	मण्डलीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा नियमित रूप से मण्डल के समस्त जनपदों की वित्तीय उपलब्धि की समीक्षा भी अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज की अध्यक्षता में करायी जा रही है, जिसमें मदवार सभी जनपदों के उपलब्धि की समीक्षा की जा रही है।	

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
	बैठक के दौरान वित्तीय समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया।	
मण्डल स्तरीय अधिकारियों द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण	मण्डलीय परियोजना प्रबन्धन इकाई में कार्यरत अधिकारियों, अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज एवं संयुक्त निदेशकों द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न इकाईयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जा रहा है एवं विस्तृत रूप से भ्रमण आख्या तैयार कर अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज को नियमित रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है। भ्रमण आख्या में भ्रमण के दौरान लिये गये फोटो भी अवलोकन हेतु आख्या में लगाये जाते हैं, जिसके क्रम में एन.एच.एम. के अन्तर्गत समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया, कि वे भी अपनी विस्तृत निरीक्षण आख्या मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।	एन.एच.एम. के अन्तर्गत समस्त जिला स्तरीय अधिकारी
मण्डलायुक्त को एन.एच.एम. गतिविधियों की प्रगति से अवगत कराया जाना	मण्डलीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा नियमित रूप से मण्डल की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि को मण्डलायुक्त महोदय के संज्ञान में लाते हुए मण्डलायुक्त महोदय के माध्यम से समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को समय-समय पर पत्र भी निर्गत कराये जाते हैं। बैठक के दौरान मण्डलायुक्त महोदय द्वारा निर्गत कराये गये पत्रों का अवलोकन भी किया गया। निर्देशित किया गया कि भविष्य में भी उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।	एन.एच.एम. के अन्तर्गत समस्त मण्डलीय अधिकारी
भ्रमण के दौरान पाया गया कि ब्लॉक एवं उपकेन्द्र स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एन.एच.एम. के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों की जानकारी का अभाव है।	बैठक में निर्देशित किया गया कि राज्य स्तर से प्रेषित दिशा-निर्देशों को ब्लॉक एवं उपकेन्द्र स्तर तक पहुँचवाना सुनिश्चित किया जाये।	समस्त डी.पी.एम.यू प्रबन्धक.
मिशन निदेशक महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में साप्ताहिक भौतिक उपलब्धि के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धि की समीक्षा नहीं करायी जा रही है।	भौतिक उपलब्धि के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धि की समीक्षा मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक
मण्डल एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा सपोर्टिव सुपरवीजन नहीं किया जा रहा है।	मण्डल एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह कम से कम 8 विजिट किया जाना सुनिश्चित किया जाये।	समस्त मण्डल एवं जिला स्तरीय अधिकारी
मण्डल के जनपदों में विलेज प्रोफाइल मैपिंग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है।	मण्डलीय एम० एण्ड ई० अधिकारी को निर्देशित किया गया, कि शत-प्रतिशत मैपिंग का कार्य यथाशीघ्र कराया जाना सुनिश्चित किया जायें।	मण्डलीय एम० एण्ड ई० अधिकारी
मण्डलीय एम एण्ड ई अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदों में ए.एन.एम. द्वारा आर.सी.एच. रजिस्टर नहीं भरे जा रहे हैं।	डी.पी.एम. को निर्देशित किया गया, कि ए.एन.एम. समस्त डाटा आर.सी.एच. रजिस्टर में भरे अनावश्यक रजिस्टर उपयोग में न लाया जाये।	जिला कार्यक्रम अधिकारी
शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान के दिन प्राइवेट चिकित्सकों की सहभागिता प्राप्त नहीं हो रही है।	डी०पी०एम० को निर्देशित किया गया, कि वे प्रत्येक माह की 9 तारीख को आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री सुरक्षित अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये एवं उक्त दिवस पर प्राइवेट चिकित्सकों की सहभागिता भी सुनिश्चित करायी जाये।	डी.पी.एम./शहरी स्वास्थ्य समन्वयक
समस्त प्रशिक्षण का प्री एवं पोस्ट टेस्ट कराये जाने के सम्बन्ध में	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक प्रशिक्षण में प्री एवं पोस्ट टेस्ट अवश्य कराया जाये जिससे की	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
	प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं प्रतिभागियों की जानकारी का आकलन किया जा सके।	
जिला महिला चिकित्सालय में दी जा रही डाइट की फोटोग्राफ भेजे जाने के संबंध में	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि जिला महिला चिकित्सालय में लाभार्थियों को दी जा रही डाइट की फोटोग्राफ राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को भेजना सुनिश्चित करें।	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक
जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में समय से अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में बायोमेट्रिक मशीन लगाया जाना सुनिश्चित करे।	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक
एन.एच.एम. के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिए गए रजिस्टर एवं फार्म को पूर्ण भरे जाने के संबंध में	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक व जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि सुनिश्चित कराये कि दिए गए रजिस्टर व प्रपत्र के समस्त कालम अवश्य रूप से भरे जाये कोई भी कालम बिना किसी कारण के खाली न हो।	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक व जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक

#### निम्न निर्देश दिये गये:

1. मण्डलीय एम०एण्डई० ऑफिसर आर०सी०एच० पोर्टल को रोल आउट किये जाने हेतु पोर्टल संबंधी समस्त कार्य ५ दिसम्बर 2018 तक पूरा करना सुनिश्चित करें।
2. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक जनपद के समस्त बी०पी०एम०य०० के प्रबंधकों से दिशानिर्देश अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करे। ब्लाक कार्ययोजना तैयार कराने में प्रभारी चिकित्साधिकारी को सहयोग प्रदान करें। एक सप्ताह में ए०एन०सी००/संस्थागत प्रसव/टीकाकरण/परिवार नियोजन संबंधी कार्ययोजना तैयार कराकर कियान्वयन कराये। ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम कर्मियों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रस्तुतिकरण तैयार करें और संबंधितों को प्रशिक्षित करें। समस्त कर्मियों को दिशानिर्देश की प्रति उपलब्ध करायें।
3. क्वालिटी के प्रबंधकों को निर्देशित किया कि क्वालिटी संबंधी गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण तैयार कर फैसीलिटी के समस्त कर्मियों के प्रस्तुतिकरण साझा करें। कर्मियों की क्षमता वृद्धि करें। एन०व्यूए०एस० सार्टिफिकेशन की तैयारी कराये। चिकित्सालय के हास्पिटल मैनेजर और हैल्प डेस्क से समन्वय स्थापित कर गुणवत्तापरक कार्य कराये।
4. डी०सी०पी०एम० को कम्युनिटी प्रोसेस संबंधी गतिविधियों विशेषकर आशा भुगतान का विश्लेषण कर कम भुगतान वाले ब्लाकों की आशाओं की समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया। वी०एच०एण्डडी० सत्र निर्धारित चेकलिस्ट अनुसार किये जाने हेतु निर्देशित किया।
5. बैठक में दिये गये समस्त निर्देशों का अक्षरक्ष पालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।



दिनांक 01.12.2018

भ्रमण स्थान – शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोविन्दपुर (ई०य०पी०एच०सी०), प्रयागराज।

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
ई०य०पी०एच०सी० के अन्तर्गत चयनित है, किन्तु प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा उक्त पोर्टल पर ओ०पी०डी० नहीं की जा रही है। चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया, कि इकाई पर प्रायः विद्युत नियमित रूप से नहीं रहती है एवं	नोडल, एन.यू.एच.एम. एवं शहरी स्वास्थ्य समन्वयक को निर्देशित किया गया, कि 01 स्टाफ नर्स के माध्यम से ओ०पी०डी० पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित कराये, जिसे धनुष इन्फोटेक द्वारा प्रशिक्षित कराया जाये।	नोडल, एन.यू.एच.एम. एवं शहरी स्वास्थ्य समन्वयक

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
कमप्युटर भी हैंग कर रहा है तथा मरीजों की संख्या भी अधिक है।		
कोल्डचेन प्वाइन्ट में ओपेन वायल पॉलिसी का फालो नहीं किया जा रहा है एवं आई.एल.आर. में खुली हुई बिना तिथि की टीटी वैक्सीन रखी हुई थी तथा डीप फ़ीजर में बफ़ जमी हुई थी	कोल्डचेन हैण्डलर को रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है।	डी0आई0ओ0
इकाई पर विगत माह में कुल 53 ए.एन.सी. की गई थी, जिसके द्वारा चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि आशा प्रायः अधिकांश ए.एन.सी. प्राईवेट हॉस्पिटल में लेकर चली जाती है।	उक्त के क्रम में चिकित्साधिकारी व शहरी स्वास्थ्य समन्वयक को निर्देशित किया गया, कि वे आशा की बैठक कर सुनिश्चित कराये कि समस्त गर्भवती माताएं ए.एन.सी. जॉच हेतु केन्द्र पर आना सुनिश्चित कराये ए.एन.सी. की प्रगति में सुधार न होने पर सम्बन्धित आशा के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये।	नोडल अधिकारी व शहरी स्वास्थ्य समन्वयक

#### निम्न निर्देश दिये गये:

1. कोल्ड चेन हैण्डलर मेल स्टाफ नर्स को ओपन वायल पॉलिसी की जानकारी का अभाव पाया गया। डीपफ़ीजर में वैक्सीन रखने के पोस्टर होने के बावजूद वैक्सीन गलत तरीके से रखी हुई पाई गई। वैक्सीन द्वितीय स्टेज की पाई गई। वैक्सीन ओपर तिथि नहीं लिखी हुई थी। नोडल अधिकारी—शहरी स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया कि समस्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कोल्ड चेन हैण्डलर का प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।
2. प्रभारी चिकित्साधिकारी डा० प्रमिला द्वारा अवगत कराया गया कि कई आशायें क्षेत्र की महिलाओं को अन्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड/जॉच हेतु ले जा रही है जिससे ए०ए०सी० में गिरावट आई है। इस संबंध में डी०सी०पी०ए०म०/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक/डी०पी०ए०म० को निर्देशित किया गया कि ऐसी आशाओं का चिन्हिकरण कर कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से कराना सुनिश्चित करें।
3. ई०य०पी०ए०च०सी० पर ऑनलाईन पर्चे तो बनाये जा रहे हैं किन्तु चिकित्सक द्वारा मरीज इस कारण पोर्टल पर अपलोड नहीं किये जा रहे हैं कि अन्य कम्प्यूटर आपस में नियमित रूप से आराम से नहीं चल पाते हैं। कम्प्यूटर का नेट केबल विगत एक माह से खराब पाया गया बताया गया। चिकित्सालय का ओ०पी०डी० ओसत 100 मरीज प्रतिदिन पाया गया। प्रभारी चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन ओ०पी०डी० प्रारम्भ करने से पहले चिकित्सालय के प्रत्येक कक्ष का निरीक्षण कर कमियों को दूर कराये। ई०पी०ए०च०सी० ऑनलाईन पोर्टल पर प्रभावी तरीके से कार्य करना सुनिश्चित करें।



#### भ्रमण स्थान – यू०ए०च०ए०न०डी० (स्थान कोयला बाड़ी)

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
यू०ए०च०ए०न०डी० (स्थान कोयला बाड़ी) यू०ए०च०ए०न०डी० का आयोजन आंगनवाड़ी केन्द्र पर किया गया था। सत्र पर ए०ए०न०ए०म०, आंगनवाड़ी कार्यक्रमी एवं सहायिका उपस्थित थी। आंगनवाड़ी कार्यक्रमी द्वारा पोषण का वितरण नहीं किया जा रहा था, बताया गया कि पोषण का वितरण प्रत्येक	नोडल अधिकारी से अपेक्षा की गई कि डीपीओ आई.सी.डी.एस. से समन्वय स्थापित कर पोषण का वितरण यू०ए०च०ए०न०डी० के दिन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।	नोडल अधिकारी

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही	दायित्व
माह के 05 तारीख को किया जाता है।		
ए0एन0एम0 की ड्यूलिस्ट के अनुसार 5 बच्चों को टीकाकरण किया जाना था किन्तु कुल 01 ही बच्चे का टीकाकरण किया गया था। ए0एन0एम0 को उसके कार्य क्षेत्र में कितनी ए0एन0सी0 हैं व उन्हें अब तक क्या सेवायें दी गयी हैं, उसकी जानकारी नहीं थी।	नोडल अधिकारी एवं शहरी स्वास्थ्य समन्वयक को निर्देशित किया गया, कि ए.एन.एम. के कार्यों की समीक्षा करते हुए समस्त ए.एन.सी. एवं बच्चों को सेवाएं दिया जाना सुनिश्चित करें। नोडल अधिकारी एवं शहरी स्वास्थ्य समन्वयक	

मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में समस्त नोडल अधिकारियों, जनपद एवं मण्डल स्तरीय एन.एच.एम. अधिकारियों की बैठक कर उपरोक्त कमियों एवं एन.एच.एम. के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के बारे में विस्तृत चर्चा एवं फीडबैक लिया गया जो कि निम्न है :-

मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निम्न फीडबैक टीम के सामने रखा गया।

- शहरी स्वास्थ्य:** ई0यू0पी0एच0सी0 में पॉवर बैकअप नहीं है। बिजली जाने पर कम्प्यूटर बंद हो जाते हैं। ओ0पी0डी0 सेवायें ही अधिकांश जगहों पर हैं। एम0सी0एच0 सेवायें ए0एन0एम0 के माध्यम से दी जा रही हैं। ओ0पी0डी0 में आने वाले मरीजों की संख्या भी कम है। ई0यू0पी0एच0सी0 स्टाफ को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाना होगा। शहरी क्षेत्र की आशाओं का कार्यक्षेत्र 2000 हजार है। प्रभावी अनुश्रवण जनपद स्तर से नहीं हो पा रहा है। राजरूपपुर में चिकित्सक एवं कर्मी नियमित रूप से केन्द्र पर सेवायें नहीं दे रहे हैं। शहरी क्षेत्र की ए0एन0एम0 हेतु 2 दिवसीय प्रशिक्षण का बजट महानिदेशालय स्तर से जारी नहीं किया गया है।
- एन0सी0डी0 :** एम0आइ0एस0 अंग्रेजी में है जिसे स्वास्थ्य कर्मी भर नहीं पा रहे हैं। 5 विलनिक सी0एच0सी0 स्तर पर कर्मी तैनात नहीं है। आई0ई0सी0 मैटीरियल की आवश्यकता एन0सी0डी0 विलनिक में है। डेफनेस साउण्ड प्रुफ कक्ष में मरीजों की संख्या अत्यधिक कम है। आर0बी0एस0के0 टीम से डेफनेस के कसेज की जॉच इस केन्द्र पर कराये जाने हेतु निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से जारी किया जाना है। मनकक्ष में तैनात स्टाफ से पूर्ण कालिक एवं नियोजित तरीके से कार्य नहीं लिया जा रहा है। सी0एच0सी0 या अन्य स्थानों पर मानसिक स्वास्थ्य स्टाफ के जाने पर उपस्थिति वहाँ से लिये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से आदेश जारी किया जाना है। दवाईयाँ मुख्य चिकित्साधिकारी स्टोर से दी जानी हैं। एलडेरली कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ड बना दिया गया है किन्तु स्टाफ की तैनाती राज्य स्तर से लंबित पाई गई है।
- प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य:-** एम0 एम0आर0, आई0एम0आर0, टी0एफ0आर0 एवं 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु को कम किये जाने हेतु कार्ययोजना आशा स्तर से बनवाना सुनिश्चित कराया जाये। यह कार्य ब्लाक स्तरीय प्रभारी चिकित्साधिकारी स्तर से कराया जाना होगा।
- आर0बी0एस0के0 टीम** अप्डरयूटीलाईज है। इस हेतु कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए। चिकित्सालय और कम्प्यूनिटी लिंकेज को बढ़ावा दिया जाना होगा।
- प्रशिक्षण:-** जनपद स्तर पर आयोजित कराये जाने वाले समस्त प्रशिक्षण गैर सरकारी संगठनों/विशेषज्ञ संगठनों के माध्यम से कराया जाना चाहिए।
- अंधता निवारण कार्यक्रम** में विगत वर्ष से अधिक उपलब्धि 5 गैर सरकारी संगठनों/चिकित्सालयों द्वारा की गई है।
- मेडिकल कॉलेज एस0एन0सी0यू0** में रिक्त पड़े पदों को नियमानुसार भरा जाना होगा। मेडिकल कॉलेज के व्यय की नियमित फॉलोअपर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच0 एवं जिला लेखा प्रबंधक द्वारा किया जायेगा।
- सी0एच0सी0 सोरांव** में सी सेवशन संबंधी समस्या और जस्ता में स्टाफ नर्स संबंधी प्रकरण से मुख्य चिकित्साधिकारी अवगत पाये गये।

9. मण्डलीय परियोजना प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि जनपद स्तर पर जिला महिला चिकित्सालय, पुरुष चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज में चल रही गतिविधियों की नियमित समीक्षा एवं समन्वय कराने में मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज को सहयोग प्रदान करें।
10. जिला क्षय रोग अधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद की समस्त प्राईवेट पंजीकृत चिकित्सालयों हेतु नोटिस जारी कराये कि नोटिफाईयेबिल डिसीज-टी०बी० के मरीजों की जानकारी जो नर्सिंग होम साझा नहीं करेगा का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। टी०बी० के ऑपरेटर की सम्बद्धता समाप्त की जाये।
11. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा मेडिकल कॉलेज को दी जाने वाली धनराशि को इंस्टालमेण्ट में दिये जाने का सुझाव दिया जिससे अत्यधिक धनराशि ब्लाक न हो।
12. जिला चिकित्सालय पुरुष में कार्डियेक केयर यूनिट बनाने के लिए स्थान का चयन किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था का चयन जिला स्वास्थ्य समिति स्तर पर लंबित है। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अतिशीघ्र कार्यवाही किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया।
13. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि डी०पी०एम०/डी०सी०पी०एम०/डी०ए०एम०/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक/डी०ई०आई०सी० प्रबंधक/क्वालिटी प्रबंधक आदि जनपद की इकाईयों में अपेक्षा अनुसार सहयोगात्मक पर्यवेक्षण नहीं करते हैं। और न ही लिखित में रिपोर्ट शेयर करते हैं। कार्यक्रमों की कर्मियों की जानकारी समय पर नहीं हो पाती है। समस्त प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि प्रतिमाह निर्धारित सहयोगात्मक भ्रमण कर मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज को लिखित रिपोर्ट देते हुए अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला लेखा प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि कार्यक्रमवार प्रति सप्ताह एफ०एम०आर० कोडवार फैसीलिटीवार स्वीकृत बजट एवं व्यय की स्थिति हार्ड कॉपी में मुख्य चिकित्साधिकारी को देना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया कि डी०पी०एम०यू० में तैनात 10 से अधिक कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था डी०पी०एम०यू० में सुनिश्चित करा दी जाये।
14. राज्य स्तर से उपलब्ध कराये जा रहें दिशा-निर्देशों का पावर प्वाइन्ट तैयार कर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से साथ साझा किये जाये।
15. जिला लेखा प्रबंधक को निर्देशित किया गया, कि समस्त नोडल अधिकारी को मदवार आवंटित बजट के सापेक्ष वित्तीय प्रगति का विवरण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे कि सम्बन्धित नोडल अधिकारी अपने कार्यक्रमों का फॉलोअप कर सके।
16. जिला प्रतिरक्षण अधिकारी से अपेक्षा की गई कि वे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की ए.एन.एम. को टीकाकरण में रिफेशर प्रशिक्षण कराये। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी को निर्देशित किया गया, कि समस्त ए.एन.एम. को ट्रैकिंग बैग उपलब्ध कराया जाये साथ ही ए.एन.एम. को ट्रैकिंग बैग का उपयोग किए जाने हेतु प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता हैं।

**भ्रमण आख्या अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

**(कौशल सिंह विष्ट)**

डिव०पी०-एम०एण्डई०  
एन०एच०एम०-उ०प्र०

**(डा० सुधा गोयल)**

राज्य कार्यक्रम प्रबंधक  
एन०एच०एम०-उ०प्र०

**अपर मिशन निदेशक / मिशन निदेशक**